न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 04/2015

1. पूरणमल
2. रामस्वरूप
3. रमेश चन्द
4. भगवति बाई पुत्री
5. कंचन बाई बेवा

नन्दलाल जाति खाती निवासी तिसाया तह0 मांगरोल जिला बारां

..प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

इजराय की पालना किये जाने बाबत्

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील प्रार्थीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
निर्णय दिनांक : 11.06.2018
दायरा दिनांक: 23.03.2015

प्रार्थीगण के प्रकरण संख्या 10/2009 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल द्वारा सुनाये गये निर्णय दिनांक 21.02.2013 की पालना किये जाने बाबत् प्रकरण दिनांक 23.03.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है को पालना हेतु न्यायालय के पत्र कमांक/रीडर/2018/230 दिनांक 17.04.2018 से निर्देशित किया गया।

तहसीलदार मांगरोल ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट कमांक/भू0अ0/2018/केम्प तिसाया दिनांक 11.06.2018 में अंकन किया कि श्रीमान के निर्णय दिनांक 21.02.2013 के अनुसार ग्राम तिसाया की आराजी खसरा नं0 426 रकबा 0.14 है0 भूमि पर कब्जा प्रतिवादीगण से लेकर सम्भलाने के आदेश हुए है तथा न्यायालय भू–प्रबंधन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपीलिय प्राधिकारी कोटा की अपील संख्या 49/13 तथा निर्णय दिनांक 02.12.2014 के अनुसार अपील अपीलान्ट खारिज की गयी है। तथा न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेंर के निर्णय दिनांक 24.01.2017 से उक्त आराजी रिसीवरी हेतु 2000 रू0 प्रतिबीघा की गयी है। अतः उक्त प्रकरण रिसीवरी के अन्तर्गत होने के कारण कब्जा सम्भलाना विधिसंगत नही होता है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेंर के निर्णय दिनांक 24.01.2017 से उक्त आराजी रिसीवरी हेतु 2000 रू0 प्रतिबीघा की गयी है। अतः उक्त प्रकरण रिसीवरी के अन्तर्गत होने के कारण कब्जा सम्भलाना विधिसंगत नही होने से इजराय की पालना किया जाना संभव नही है। अतः प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर के निर्णय दिनांक 24.01.2017 के प्रकाश में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प तिसाया मजमेंआम में सुनाया गया।